रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062021-227863 CG-DL-E-24062021-227863

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348] No. 348] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 24, 2021/आषाढ़ 3, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2021/ASHADHA 3, 1943

### कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

सा.का.नि.436(अ).—केंद्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के पश्चात शिक्षुता नियम,1992 का और संशोधन करने के लिए निम्निलखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. शिक्षुता नियम, 1992 में, अनुसूची। में -
- (i) "वस्त्र व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्यांक 16 में, क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

3466 GI/2021 (1)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	कताई तकनीशियन	7318.4800	दो वर्ष	1. कताई तकनीशियन	एक वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत
		8151.0500		(प्रणासियम		विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा
		8151.0600				उत्तीर्ण।
		8151.1000				
		8151.1400				
		8151.9900				
9.	नम वस्त्र प्रसंस्करण तकनीशियन	2141.1700	दो वर्ष	1. नम वस्त्र प्रसंस्करण	एक वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत
		8154.0200		तकनीशियन		विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा
		8154.1000				उत्तीर्ण।
		8154.2100				
		8154.2300				
		8154.2700				
10.	बुनाई तकनीशियन	2141.1500	दो वर्ष	<ol> <li>बुनाई तकनीशियन</li> </ol>	एक वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं
		7318.5800		V. ISHINGA		वज्ञान तथा गाणत के साथ 10वा कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा
		7318.5500				उत्तीर्ण।
		8152.0400				

(ii) समूह संख्यांक 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित समूह और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
"समूह	"समूह संख्यांक 40- हरित कार्य व्यवसाय समूह:										
"1.	सोलर तकनीशियन (इलेक्ट्रीकल)	7421.1401 7421.1402 7421.1403 8212.2301	एक वर्ष और तीन माह	<ol> <li>सोलर तकनीशियन (इलेक्ट्रिकल)</li> <li>इलेक्ट्रीशियन</li> <li>इलेक्ट्रीशियन (विद्यूत वितरण)</li> </ol>		विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण।					
				4. वायरमैन	तीन माह						

				5.	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	तीन माह	
				6.	विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्सत कनीशियन	तीन माह	
				7.	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मैकेनिक	तीन माह	
2.	पवन शक्ति संयंत्र तकनीशियन	3131.9900	एक वर्ष और तीन माह	1.	इलेक्ट्रिशयन	तीन माह	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा या उसके
	(इलेक्ट्रीकल)			2.	इलेक्ट्रिशियन (विद्यूत वितरण)	तीन माह	समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण।
				3.	वायरमैन	तीन माह	
				4.	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	तीन माह	
				5.	विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्सत कनीशियन	तीन माह	
				6.	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मैकेनिक	तीन माह	

[फा. सं. डीजीटी-2/1/2021-एपी] नीलम शमी राव, अपर सचिव

टिप्पणी: — मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356, तारीख 15 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सां.का.नि. 686 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

# MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2021

**G.S.R. 436(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: -

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Apprenticeship Rules, 1992, in Schedule I, -

(i) in Group No.16, relating to the Textile trades group, after serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	
"8.	Spinning	7318.4800	Two years	1.	Spinning	One year	Passed	10th	class
	Technician	8151.0500			Technician		examination		with
		8151.0600					Science		and
		8151.1000					Mathema	tics	under
		8151.1400					10+2	system	of
		8151.9900					education	or	its
							equivalen	t.	
9.	Textile Wet	2141.1700	Two years	1.	Textile Wet	One year	Passed	10th	class
	Processing	8154.0200			Processing		examinati	on	with
	Technician	8154.1000			Technician		Science		and
		8154.2100					Mathema	tics	under
		8154.2300					10+2	system	of
		8154.2700					education	or	its
							equivalen	t.	
10.	Weaving	2141.1500	Two years	1.	Weaving	One year	Passed	10th	class
	Technician	7318.5800			Technician		examinati	on	with
		7318.5500					Science		and
		8152.0400					Mathema	tics	under
							10+2	system	of
							education		or
							equivalen	t.";	

(ii) after Group No.39, and the entries relating thereto, the following Group and entries shall be inserted, namely:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	
"Gro	up No.40-Green Job	os Trades Grou	ip:					
"1.	Solar	7421.1401	One year and	1.	Solar	Three	Passed 10th	class
	Technician	7421.1402	three months		Technician	months	examination	with
	(Electrical)	7421.1403			(Electrical)		Science	and
		8212.2301					Mathematics	or
				2.	Electrician	Three	equivalent.	
						months		
				3.	Electrician	Three		
					(Power	months		
					Distribution)	months		
				4.	Wireman	Three		
						months		
				5.	Electronic	Three		
				٥.	Mechanic	months		
					Wicchaine	months		
				6.	Technician	Three		
					Power	months		
					Electronics			

				7.	Mechanic Consumer Electronic Appliances	Three months	
2.	Wind Power Plant Technician	3131.9900	One year and three months	1.	Electrician	Three months	Passed 10th class examination with science and
	(Electrical)			2.	Electrician (Power Distribution)	Three months	mathematics or its equivalent.".
				3.	Wireman	Three months	
				4.	Electronic Mechanic	Three months	
				5.	Technician Power Electronics	Three months	
				6.	Mechanic Consumer Electronic Appliances	Three months	

[F.No. DGT-2/1/2021-AP]

NEELAM SHAMI RAO, Addl. Secy.

**Note:** — The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended *vide* notification number G.S.R. 686(E), dated the 25<sup>th</sup> September, 2019.